विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1185 **परिशिष्ट 'अ'**

मध्यप्रदेश में संचालित गौ शालाओं की व्यवस्था की जानकारी

प्रदेश में अशासकीय एवं शासकीय (मनरेगा) गौशालाएँ संचालित है। मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर निराश्रित गौवंश को आश्रय देने के लिए मुख्यमंत्री गौसेवा योजना (मनरेगा) संचालित है। शासकीय गौशाला 100 गौवंश की क्षमता वाली इन गौशालाओं का निर्माण मनरेगा अंतर्गत किया गया है। गौशाला निर्माण में गौशाला शेड, बछड़ा शेड, हौज, चौकीदार कक्ष, कार्यालय, भूसा गोदाम, बीमार गाय शेड, गौ काश्त शेड, कम्पोस्ट यूनिट/नाडेप इत्यादि की व्यवस्था है। योजना अंतर्गत, गौशालाओं के निर्माण एवं संचालन का उत्तरदायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों का है। ग्राम पंचायत चाहें तो इनका संचालन का दायित्व ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वसहायता समूहों अथवा स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुबंध निष्पादित कर दे सकती हैं। म.प्र. गौसंवर्द्धन बोर्ड में पंजीकृत सभी गौशालाओं को पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा, गौशाला में उपलब्ध गौवंश की संख्या के मान से प्रति गौवंश प्रति दिवस रू. 20/- चारा भूसा दाना हेतु प्रदाय किए जाने के प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त शासकीय गौशाला के गौवंश के लिए हरे चारे की उपलब्धता हेतु गौशालाओं के साथ 5 एकड़ की भूमि, चारागाह विकास के लिए प्रावधान किया गया है। तथा अशासकीय स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित गौशालाओं के चारा भूसा एवं दाना हेतु राशि रू.20/- प्रतिदिवस/प्रतिगौवंश, बजट की उपलब्धता के आधार पर प्रदाय की जाती है एवं गौशाला प्रबंधन द्वारा अन्य स्रोतों जैसे दान से प्राप्त राशि, गोबर, गौमूत्र से आय प्राप्त की जाती है। गौशालाओं की व्यवस्था में पशुपालन एवं डेयरी विभाग, राजस्व विभाग, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वित्त विभाग तथा स्थानीय निकायों द्वारा सहयोग किया जाता है।

उपसंचालक
म.प्र.गौसंवर्द्धन बोर्ड,
भोपाल